भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1706
दिनांक 01 अगस्त, 2024

पीएसयू तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों का आवंटन

†1706. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत सात वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च प्रचालन लागत के बावजूद पेट्रोल पंपों की डीलरशिप कमीशन में संशोधन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अनुकंपा के आधार पर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं, ताकि ऐसे परिवारों को आय का नियमित स्रोत उपलब्ध कराया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिवारों में से अनेक ने या तो यह व्यापार छोड़ दिया है अथवा बहुत कम लाभ के कारण दिवालिया हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल का विपणन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा चलाए जा रहे खुदरा बिक्री केन्द्रों पर किया जाता है। दिनांक 01.07.2024 की स्थिति के अनुसार देश में 90,639 खुदरा बिक्री केन्द्र थे जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के हैं तथा शेष निजी क्षेत्र की कंपनियों के हैं।

पेट्रोल और डीजल का खुदरा विपणन नियंत्रणमुक्त है और डीलर मार्जिन सहित उनके मूल्यों के संबंध में निर्णय संबंधित कंपनियों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं।

पीएसयू ओएमसीज के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर डीलर मार्जिन में बुनियादी तौर पर प्रचालन लागत, जनशक्ति लागत/कर्मचारियों का वेतन, कारोबारी प्रतिफल आदि शामिल होते हैं। पीएसयू ओएमसीज द्वारा अगस्त, 2017 में डीलर मार्जिन को संशोधित किया गया था। इस संशोधन से डीलरों द्वारा आरओ स्टाफ को दिए जाने वाले वेतन की दर बढ़ गई, जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन पर आधारित थी। संशोधन के बाद ओएमसीज ने आरओ डीलरों को आरओ स्टाफ को इस निर्धारित वेतन का भुगतान करने की सलाह दी। आरओ डीलरों द्वारा संशोधित वेतन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ओएमसीज ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) – 2012 में उपयुक्त शर्तें शामिल कीं।

तथापि, जब संशोधित डीलर मार्जिन को कार्यान्वित किया गया तब अनेक डीलर एसोसिएशनों ने अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर वेतन के भुगतान से संबंधित एमडीजी संशोधनों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी। एक डीलर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर निर्णय देते हुए जनवरी, 2022 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमडीजी में संशोधनों का समर्थन किया। तथापि, डीलर एसोसिएशनों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की और वर्तमान में यह मामला न्यायाधीन है।

डीलर कमीशन में संशोधन के संबंध में पीएसयू ओएमसीज तथा आरओ डीलरों के संघ के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श और बातचीत होती रहती है। सरकार को ऐसे विचार-विमर्श की जानकारी है और संशोधन को प्रभावित करने वाले लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्थाओं का समर्थन करती रही है।

(ख) से (घ): कारगिल युद्ध, संसद पर हमला, मुंबई हमला के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले रक्षा कार्मिकों के शोक संतप्त परिवारों के पुनर्वास के उद्देश्य से सरकार ने शहीदों की पत्नी/नजदीकी आश्रित को खुदरा बिक्री केन्द्र के सीधे आवंटन के लिए विशेष योजनाएं शुरू की थी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने कारगिल युद्ध, संसद पर हमला, मुंबई हमला के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों के परिवारों को 322 खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने यह भी सूचित किया है कि युद्ध में अपनी जान गवाने वाले अथवा संयुक्त श्रेणी 1 (सीसी 1) में बताए गए कारणों से सेवा काल के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बलों के सदस्यों की विधवाओं/आश्रितों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के आवंटन हेतु आरक्षण का प्रावधान है और दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार उन्होंने इस श्रेणी के तहत 451 खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए हैं। इस श्रेणी के तहत चयन/आवंटन मौजूदा आरओ डीलर चयन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने ऑपरेशन विजय विशेष योजना (ओवीएसएस) और मुंबई शहीदों के लिए भारतीय सेना अथवा केंद्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों को अनुकंपा आधार पर 147 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का आवंटन किया है।

तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु एकीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी कार्मिक (जीपी) श्रेणी, जिसमें (i) अपने कर्तव्य का निवर्हन करते हुए शहीद हो गए सशस्त्र बलों (अर्थात सेना, नौ सेना और वायु सेना) अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों/केंद्रीय अथवा राज्य विशेष बलों के सैनिकों की विधवाएं/आश्रित, (ii) अपने कर्तव्य का निवर्हन करते हुए सशस्त्र बलों (अर्थात सेना, नौ सेना और वायु सेना) अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों/केंद्रीय अथवा राज्य विशेष बलों के दिव्यांग कार्मिक (iii) सशस्त्र बलों में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक (iv) अपने कर्तव्य का निवर्हन करते हुए जान गवाने वाले केंद्र/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित तथा कर्तव्य का निवर्हन करने से जुड़े कारणों की वजह से केंद्र/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दिव्यांग हो गए कार्मिक शामिल हैं, के तहत 8 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार सरकारी कार्मिक (जीपी) श्रेणी के तहत कुल 277 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स चालू की गई हैं।

पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केन्द्रों की दीर्घकालिकता और ग्राहकों को उनकी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ओएमसीज ने नई पीढ़ी के ईंधन अर्थात प्रीमियम एमएस/एचएसडी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) जैसे वैकल्पिक ईंधन, इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) शुरू किए हैं और ये प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) संबंधी जांच, बीमा, कुरियर सेवा, वाहन के लिए सर्विस सेंटर, ग्रोसरी स्टोर, कन्विनिएंस स्टोर, खाद्य और पेय पदार्थों का केन्द्र आदि जैसे गैर-ईंधन कारोबारों को प्रोत्साहित कर रही हैं।

पीएसयू ओएमसीज ने सूचित किया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों के तहत आवंटित किसी भी आरओ डीलरशिप्स/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने कम मार्जिन के कारण कारोबार बंद नहीं किया है।

****